FRHS INDIA
Children by choice, not chance

PRATIGYA
Campaign for Gender Equality and Safe Abortion.

भारत के छः राज्यों के बाजारों में मेडिकल एबोर्शन मेडिसिंस की उपलब्धता, 2020

फाउंडेशन फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज़ इंडिया (एफआरएचएसआई) (FRHSI) ने दिल्ली में मेडिकल एबोर्शन एमए (MA) मेडिसिंस की उपलब्धता पर एक अध्ययन आयोजित किया। हमने दिल्ली के पाँच क्षेत्रों में 250 कैमिस्ट्स से बात करके एमए (MA) मेडिसिंस की उपलब्धता को प्रभावित करने वाले पहलुओं को समझने की कोशिश की। यह फैक्ट शीट अध्ययन के बाद हासिल नतीजों और उभरते हुए मुद्दों से निपटने के लिए कुछ अनुमोदन प्रस्तुत करता है।

हमने यह अध्ययन क्यों किया?

प्रतिज्ञा कैम्पेन फॉर जेन्डर एक्वैलिटी एंड सेफ एबोर्शन ने एमए (MA) मेडिसिंस की उपलब्धता का मूल्यांकन करने के लिए 2019 में देश के चार राज्यों में एक शोध अध्ययन किया। नतीजों से पता चला कि जिन चार राज्यों में सर्वेक्षण किया गया उनमें से दो राज्यों – राजस्थान और महाराष्ट्र में एमए (MA) मेडिसिंस की बेहद कमी है।[1] ज्यादातर कैमिस्ट्स ने इस कमी का मुख्य कारण एमए (MA) मेडिसिंस का स्टॉक रखने से जुड़ी कानूनी रुकावटें बताईं। इन चार राज्यों के 56% कैमिस्ट्स ने बताया कि एमए (MA) मेडिसिंस पर अन्य स्केड्यूल एच (H) दवाइयों के मुकाबले ज़रूरत से ज्यादा नियंत्रण है। इस बात को जानते हुए कि भारत में ज्यादातर एबोर्शन (81%) एमए (MA) मेडिसिंस से ही होते हैं, ऐसे में इन दवाइयों की कमी एबोर्शन चुनने वाली महिलाओं के लिए तरीकों की कमी के रूप में सामने आ सकती है।[2] मुख्य राज्यों में रुझानों और परिस्थितियों को समझने के लिए एफआरएचएसआई (FRHSI) ने जो कि प्रतिज्ञा कैम्पेन का सचिवालय चलाता है और साझेदार संगठन भी है; देश के छः नए राज्यों, जिसमें दिल्ली भी शामिल हैं, में अध्ययन का दूसरा चरण चलाया।

इस अध्ययन के उद्देश्य, इस प्रकार थे

- बाजार में एमए (MA) मेडिसिंस की उपलब्धता जांचना और समझना
- एमए (MA) मेडिसिंस के स्टॉक करने/स्टॉक न करने के मुख्य कारणों को समझना
- दवा के बारे में कैमिस्ट्स की जानकारी (प्राथमिक रूप से इस्तेमाल करना और इन्हें बेचने या देने के लिए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट एवं रूल्स आदि) और एमए (MA) मेडिसिंस बेचने के असल तरीकों के बारे में पता लगाना
- कैमिस्ट्स के अनुभवों /उनकी दुकान पर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ड्रग अथॉरिटीज के साथ एमए (MA) मेडिसिंस बेचने से जुड़ी बातचीत समझना

तालिका 1: अध्ययन के अंतर्गत आने वाले राज्य और शहर

राज्य	इसके अंतर्गत आने वाले शहर/उप–जिले
दिल्ली	हौज़ खास, नजफगढ़, नरेला, पटेल नगर एवं सीलमपुर

मुख्य नतीजे

34% कैमिस्ट्स के पास दिल्ली में एमए (MA) मेडिसिंस का स्टॉक पाया गया

63% कैमिस्ट्स ने कानूनी रुकावटों / पहलुओं, ज़रूरत से ज्यादा कागजी कार्यवाही को एमए (MA) मेडिसिंस स्टॉक न करने के वजह बताएं

46% कैमिस्ट्स ने कहा कि

एमए (MA) मेडिसिंस पर अन्य स्केड्यूल एच (H) दवाइयों के मुकाबले कहीं ज्यादा नियंत्रण है

97% कैमिस्ट्स ने कहा कि

एमए (MA) मेडिसिंस जन्म के पूर्व लिंग जांच की वजह से कराए जाने वाले एबोर्शन के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती

आखिरी 10 ग्राहकों में से 84% ग्राहक कैमिस्ट्स के पास एमए (MA) मेडिसिंस की खरीदी के लिए डॉक्टर के नुस्खा पर्ची (प्रिस्क्रिप्शन) के साथ आए

केवल 42% महिलाएं ही एमए (MA) मेडिसिंस खरीदने के लिए फार्मेसीस पर आईं

क्या ग्राहक एमए (MA) मेडिसिंस खरीदने के बाद वापिस आते हैं?

दिल्ली में 42% कैमिस्ट्स ने कहा कि एमए (MA) मेडिसिंस खरीदने के बाद ज्यादातर ग्राहक वापिस आते हैं। वापिस आने वाले ग्राहकों में से 31 ने बताया कि दवा असरदार थी और उन्हें सही नतीजे मिले।

क्या कैमिस्ट भारत में एबोर्शन के कानूनी होने के बारे में जानते हैं?

दिल्ली में ज्यादातर कैमिस्ट (84%) जानते हैं कि भारत में एबोर्शन कराना कानूनी है। 15.6% कैमिस्ट्स ने कहा कि एबोर्शन कराना गैर–कानूनी है। जो जानते थे कि एबोर्शन कराना कानूनी है, उनमें से 54% ये भी जानते थे कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) एक्ट के अंतर्गत 20 सप्ताह का वक्त (जैस्चेशन पीरियड) होना चाहिए।

कैमिस्ट मेडिकल एबोर्शन प्रोसेस के बारे में कितना जानते हैं?

जब दिल्ली में एमए (MA) मेडिसिंस रखने वाले कैमिस्ट्स से एमए (MA) मेडिसिंस लिए जाने के तरीकों के बारे में पूछा गया तो, आधे से भी कम कैमिस्ट्स (47%) को एमए (MA) मेडिसिंस लेने के सही तरीके के बारे में पता था (मिसोप्रिस्टोल लेने के 24–48 घंटे बाद मिफेप्रिस्टोन)। ज्यादातर कैमिस्ट (91%) खाने वाली दवा (ओरल) के बारे में जानते हैं और कुछ को (37%) मुंह में दबा कर रखने वाले (सबलिंग्वल) तरीके के बारे में भी पता है और 41% को बक्कल तरीके से ली जाने वाली दवा के बारे में भी पता है। अगर तुलना की जाए तो बहुत कम कैमिस्ट्स (7%) को योनी मार्ग से ली जाने वाली दवा के बारे में जानकारी थी। दिल्ली के सभी कैमिस्ट्स में से सिर्फ 29% ही ग्राहकों को बताते हैं कि रक्त स्त्राव (ब्लीडिंग) होना इस पूरी प्रक्रिया का एक सामान्य–सा हिस्सा है। करीब 53% कैमिस्ट ग्राहकों से एमए (MA) मेडिसिंस के बारे में जानकारी लेने के लिए डॉक्टर से सलाह लेने की बात कहते हैं।

नतीजे क्या लागू करते हैं?

इस अध्ययन के नतीजे दिल्ली में एमए (MA) मेडिसिंस उपलब्ध होने में दिक्कत को स्पष्ट रूप से उजागर करते हैं। हालांकि, दिल्ली में पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और तमिल नाडु से ज़्यादा स्टॉक है; फिर भी प्रतिशत में देखा जाए तो 34% के साथ यह स्टॉक कम है। ज़रूरत से ज्यादा कागजी कार्यवाही और अत्यधिक नियंत्रण दिल्ली में इन दवाइयों की कमी के मुख्य कारण मालूम पड़ते हैं। नतीजे इस तरफ भी इशारा करते हैं कि 46% कैमिस्ट्स का मानना है कि अन्य स्केड्यूल एच (H) दवाइयों की तुलना में एमए (MA) मेडिसिंस पर ज़रूरत से ज्यादा नियंत्रण है। जबकि, दिल्ली में एबोर्शन के कानूनी होने के बारे में कैमिस्ट्स के बीच अच्छी जानकारी है, लेकिन दवाएं इस्तेमाल करने के क्रम और अलग–अलग तरीकों के बारे में ये जानकारी ज्यादा अच्छी नहीं है।

मेहनत बेकार हो जाना

यदि एमए (MA) मेडिसिंस की उपलब्धता से समझौता किया जाता है, तो हो सकता है कि महिलाएं असुरक्षित तरीके अपनाएं; जिससे मातृ मृत्य दर/मेटर्नल मॉर्टेलिटी रेट (एमएमआर) में अब तक की मेहनत के बाद जो कमी लाई गई है, उस पर असर पड़ सकता है।

पहुँच और विकल्पों में कमी

यदि एमए (MA) मेडिसिंस के मिलने में समझौता किया जाता है, तो महिलाओं को मजबूर होकर सर्जिकल तरीके अपनाने पड़ेंगे, इसके अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। जबकि, इसमें अधिकृत रूप से सेवाएं उपलब्ध कराने वालों की कमी है।

सुरक्षित एबोर्शन की लागत में वृद्धि

एमए (MA) मेडिसिंस की कीमत और सलाह लेने की लागत, सर्जिकल एबोर्शन से बहुत कम होती है। बहुत से अस्पताल या क्लिनिक आजकल किसी भी तरह के क्लिनिकल सेवा प्रदान करने से पहले कोविड–19 की जांच कराने को कहने लगे हैं; इस तरह एबोर्शन की लागत और बढ़ जाती है।

हम अनुमोदन करते हैं

एमए (MA) मेडिसिंस लेने की सलाह देने के लिए एमबीबीएस (MBBS) डॉक्टर्स के नुस्खा पर्ची (प्रिस्क्रिप्शन) आवश्यक होने के लिए एमटीपी नियमों में संशोधन करना

यदि एमबीबीएस (MBBS) डॉक्टरों को एमए (MA) मेडिसिंस लिखने की अनुमति मिल जाती है, तो एबोर्शन उपलब्ध कराने वालों की संख्या 60,000–70,000 से बढ़ कर दस लाख हो जाएगी, जिससे महिलाओं के लिए डॉक्टर के नुस्खा पर्ची (प्रिस्क्रिप्शन) के साथ दवा लेना आसान हो जाएगा और मेडिकल सपोर्ट के साथ देखभाल भी आसान हो जाएगी।[3] एमबीबीएस (MBBS) डॉक्टरों को एमए (MA) मेडिसिंस पर एक छोटे, संभवतः ऑनलाइन कोर्स के बाद एमटीपी के नियमों में संशोधन किया जा सकता है।

एमए कॉम्बी–पैक को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की स्केड्यूल के के अंतर्गत वर्गीकृत करना

इस बात के ठोस साक्ष्य हैं कि एमए (MA) मेडिसिंस का इस्तेमाल पूरी तरह से सुरक्षित है और इनका सेहत पर कोई दुष्प्रभाव भी नहीं होता। डब्ल्यूएचओ (WHO) ने भी एमए (MA) मेडिसिंस को ज़रूरी दवाइयों की मूलभुत सूची (कोर लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिंस) 2019 में सूचीबद्ध किया है कि इन्हें मेडिकल सुपरविज़न के बिना लिया जा सकता है।[4] इन दवाइयों को स्केड्यूल के के अंतर्गत लाने से कैमिस्ट्स को इनका स्टॉक रखने और बेचने से जुड़ी कुछ रुकावटों को दूर करने में मदद मिल सकती है।

- **महिलाओं को एमए (MA) मेडिसिंस मिल पाएं इसके लिए समर्थन उपलब्ध कराया जा रहा है – टॉल–फ्री हैल्पलाइन स्थापित की गई है**

  महिलाओं को विस्तृत जानकारी देने के लिए टॉल–फ्री हैल्पलाइन नम्बर एमए कॉम्बी–पैक के पीछे जारी करना आवश्यक करना चाहिए। इसके लिए धन निर्माताओं/विपणककर्ताओं और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेर (एमओएचएफडब्ल्यू), भारत सरकार द्वारा मिलकर उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

- **आईईसी और मीडिया आउटरीच के जरिए सुरक्षित एबोशर्न का संदेश फैलाने के लिए और अधिक निवेश**

  सरकारी इन्फॉर्मेशन एजुकेशन कॉम्युनिकेशन (आईईसी) और बिहेवियर चेंज कॉम्युनिकेशन (बीसीसी) जैसी बाहरी पहुँच की गतिविधियों में एबोर्शन को ज्यादा जगह नहीं मिल पाती है। सुरक्षित एबोर्शन से गलतफहमियां दूर करने के लिए और संविधान के अंतर्गत सही जानकारी लोगों तक पहुँचाने के लिए एमओएचएफडब्ल्यू को और अधिक निवेश करने पर विचार करना चाहिए।

- **सेन्ट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कन्ट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की स्वीकृति/आवश्यकताओं और एमटीपी एक्ट के बीच समरसता बिठाना**

  2003 में एमटीपी के नियमों में संशोधन इस बात की अनुमति देता है कि सात सप्ताह तक के गर्भ को एमए (MA) मेडिसिंस के सेवन से एबोर्शन कराया जा सकता है, जबकि कॉम्बी–पैक के लिए दि ड्रग कन्ट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) की अनुमति नौ सप्ताह तक है। ऐसा भी प्रतीत होता है कि 2019 में डीसीजीआई द्वारा एमए (MA) मेडिसिंस की लेबलिंग के लिए जारी किए गए दिशा निर्देश ("चेतावनी: इस उत्पाद का इस्तेमाल सेवा प्रदाता की देखरेख में और मेडिकल सुविधा प्रदान करने वाले प्रतिष्ठानों में ही एमटीपी एक्ट 2002 और एमटीपी रूल्स 2003 के अंतर्गत ही किया जा सकता है") यह सलाह देने के लिए गलत तरीके से समझाए गए कि इन दवाइयों को रिटेल फार्मेसीस पर न तो स्टॉक किया जा सकता है और न ही बेचा जा सकता है।

  डीसीजीआई/एमओएचएफडब्ल्यू को डब्ल्यूएचओ (WHO) के अनुमोदन अनुसार एमए (MA) मेडिसिंस के इस्तेमाल के लिए जैस्चेशन लिमिट बढ़ाकर 12 सप्ताह करनी चाहिए एवं लेबलिंग दिशा निर्देशों को हटाने पर विचार करना चाहिए, जिसके कारण जमीनी स्तर पर आशंकाएं पैदा होती हैं।

Citation

Chandrashekar, VS; Choudhuri, D and Vajpeyi, A. FRHS India, 2020, Availability of Medical Abortion Drugs in the Markets of Six Indian States, 2020

पूरी रिपोर्ट यहां पढ़ी जा सकती है:

https://bit.ly/2E5Swtj

References

[1]Chandrashekar, VS; Vajpeyi, A. and Sharma, K. Availability Of Medical Abortion Drugs In The Markets Of Four Indian States, 2018. 2019, http://www.pratigyacampaign.org/wp-content/uploads/2019/08/availability-of-medical-abortion-drugs-in-the-markets-of-four-indian-states-2018.pdf

[2]Singh S et al., Abortion and Unintended Pregnancy in Six Indian States: Findings and Implications for Policies and Programs, New York: Guttmacher Institute, 2018, https://www.guttmacher.org/report/abortion-unintended-pregnancy-six-stat....

[3]Improving Access to Safe Medical Abortions, Why expanding the Provider Base is essential https://pratigyacampaign.org/wp-content/uploads/2019/09/improving-access-to-safe-medical-abortions-english.pdf

[4]World Health Organization.(2019). World Health Organization model list of essential medicines: 21st list 2019. World Health Organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/325771. License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO

FRHS INDIA
Children by choice, not chance

Partner with us and follow us on:
Headquarter: B-37, Gulmohar Park, New Delhi - 110049 | +91 11 49840000
Email: info@frhsi.org.in | @FoundationforReproHealthServicesIndia